

अध्याय—VIII

एयरसेल गुप (डिशनैट वायरलैस लिमिटेड, एयरसेल लिमिटेड तथा एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड) द्वारा साझा किया गया राजस्व

8.1 एयरसेल गुप की संक्षिप्त रूपरेखा

मैसर्स एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड (एसीएल), पूर्ववर्ती मैसर्स आरपीजी सेलुलर लिमिटेड ने 1994 में चेन्नई में अपनी दूरसंचार सेवायें प्रारम्भ की। बाद में, स्टर्लिंग गुप द्वारा उन्नीत मैसर्स एयरसेल लिमिटेड (एएल) ने 1998 के दौरान तमिलनाडु सेवा क्षेत्र में सीएमटीएस लाइसेंस प्राप्त किया (पूर्ववर्ती मैसर्स श्रीनिवासा सेलुलर लिमिटेड कोयम्बटूर)। मैसर्स एएल की पूर्ण स्वामित्व वाली दो सहायिकायें मैसर्स एसीएल एवं मैसर्स डिशनैट वायरलैस लिमिटेड (डीडब्लूएल) हैं जो की भारतवर्ष में दूरसंचार सेवायें प्रदान करती हैं। 2006 में, मैसर्स एयरसेल को मैक्सिस कम्यूनिकेशन्स बेरहाड, मलेशिया (मैक्सिस) द्वारा अधिग्रहित किया गया था। एयरसेल, सिंद्या सिक्यूरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम है तथा मैक्सिस कंपनी में बहुमत की भागीदारी (74 प्रतिशत) रखती है। वर्ष 2010 तक, कंपनी की सभी 23 एलएसए के लाइसेंसों सहित अखिल भारतीय उपस्थिति थी। कंपनी की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नवत है:

8.1.1 एयरसेल गुप को प्रदत्त लाइसेंस

ए सी एल ने 1994 में चेन्नई सेवा क्षेत्र के लिए सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। ए एल ने 1998 में तमिलनाडु सेवा क्षेत्र का सी एम टी एस लाइसेंस प्राप्त किया। बाद में, इसने वर्ष 2006¹ में सात सेवा क्षेत्रों का यू ए एस एल लाइसेंस प्राप्त किया। मैसर्स डी डब्लू एल ने वर्ष 2004² एवं 2006³ के दौरान चौदह सेवा क्षेत्रों का लाइसेंस प्राप्त किया।

8.1.2 एयरसेल गुप की कंपनियों को आबंटित स्पेक्ट्रम

मैसर्स एएल, एसीएल, डीडब्लूएल जीएसएम ऑपरेटर हैं। एक जीएसएम ऑपरेटर को उपभोक्ता पहुँच के लिए प्रारम्भिक शुरुआती स्पेक्ट्रम (मुख्य रेडियो स्पेक्ट्रम) 2 × 4.4 मेगाहर्टज था। एयरसेल गुप की कंपनियों को 31 मार्च 2010 की स्थिति में एलएसए के अनुसार आबंटित स्पेक्ट्रम का विवरण नीचे दिया गया है:-

तालिका – 8.1

क्रम संख्या	स्पेक्ट्रम	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
1	2×9.8 मेगाहर्टज	तमिलनाडू
2	2×8.6 मेगाहर्टज	चेन्नई
3	2×6.2 मेगाहर्टज	असम
4	2×4.4 मेगाहर्टज	बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर पूर्व, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व), कोलकाता, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई और राजस्थान (20 एल एस ए)

1 मुंबई, दिल्ली, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान।

2 हिमाचल प्रदेश, ओडिसा, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम एवं उत्तर पूर्व।

3 कोलकाता, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश (पूर्व) एवं पंजाब।

8.1.3 एएल/एसीएल/डीडब्लूएल का उपभोक्ता आधार

एयरसेल ग्रुप (एएल, एसीएल एवं डीडब्लूएल) के सेलुलर उपभोक्ता 569 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 31 मार्च 2007 के 0.55 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2010 को 3.69 करोड़ हुए। इसका बाजार हिस्सा 31 मार्च 2007 के तीन प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2010 को छह प्रतिशत हुआ।

8.1.4 सकल राजस्व (जीआर), समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा भुगतान किया गया राजस्व अंश

जैसा कि पैरा 1.5 में वर्णन किया गया है, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा तिमाही आधार पर स्व-निर्धारण कर एजीआर के एक निर्धारित प्रतिशत पर एलएफ एवं एसयूसी का भुगतान अपेक्षित है। एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 के चार वर्षों के दौरान प्रतिवेदित सकल राजस्व, कटौती, समायोजित सकल राजस्व एवं भुगतान किया गया राजस्व अंश (एलएफ एवं एसयूसी) निम्नवत् हैं:

तालिका – 8.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	जी आर से ए जी आर का प्रतिशत	राजस्व अंश (एलएफ + एसयूसी)
2006-07	1389.40	205.45	1183.95	85.21	144.33
2007-08	2332.21	364.82	1967.39	84.36	226.22
2008-09	3116.51	579.67	2536.84	81.40	315.47
2009-10	4703.64	1222.58	3481.06	74.01	409.60
कुल	11541.76	2372.52	9169.24	79.44	1095.62

8.2 एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व की कम रिपोर्टिंग

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, सकल राजस्व, बिना किसी सम्बन्धित व्यय की मद आदि का समंजन (सैट-ऑफ) किये, उसमें कहे गये सभी प्रकार के राजस्व को मिलाकर होगा। सेवा राजस्व (बिल करने योग्य राशि) सकल रूप में दिखाया जायेगा तथा छूट/कटौती के विवरण अलग से दिखाये जायेंगे।

एयरसेल ग्रुप के अभिलेखों/लेखों की पुस्तकों (वाउचर्स, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाभ एवं हानि लेखों तथा तुलन पत्र आदि) की लेखापरीक्षा जाँच से यह पता चला कि इन कंपनियों ने लाइसेंस अनुबंध की धाराओं का पालन नहीं किया था, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है:

8.2.1 उपभोक्ताओं को दिये गये विभिन्न प्रस्तावों से सम्बन्धित राजस्व को निवल करने के कारण प्रीपेड/पोस्टपेड राजस्व की कम रिपोर्टिंग

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि में दी गई प्रीपेड सेवाओं के डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कंपनी ने ग्राहकों को विभिन्न योजनायें/छूटें, यथा अधित्याग, छूट, प्रोमो टॉक टाईम, फ्री एयर टाईम (एफएटी), प्रोत्साहनपरक प्रस्ताव, पूर्ण टॉक टाईम आदि, बिना किसी शुल्क के प्रदान की। यह देखा गया कि ऐसे प्रस्तावों को समायोजित करने के लिये, उसका मूल्य सेवा राजस्व से शुरुआत में घटा दिया गया था। जब कभी भी ग्राहक द्वारा उसका उपयोग किया जाता था, राजस्व कथित राशि से क्रेडिट किया जाता था। परिणामस्वरूप, ग्राहकों को दिये गये इन प्रस्तावों के कारण राजस्व को जीआर/एजीआर में मान्य नहीं किया गया था। चूँकि, ग्राहकों को दिये गये प्रस्ताव व्यवसाय में वृद्धि हेतु समग्र व्यवसायिक नीति के हिस्सा थे अतः ऐसे प्रस्तावों/छूटें व्ययों के समान हैं। लाइसेंस अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार, सेवा राजस्व संबंधित व्यय की मद का कोई समंजन किये बिना दिखाया जायेगा इसलिए वे जीआर में से घटाने को अनुमत नहीं हैं। यह लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन है जो स्पष्टतया नियत करता है कि सेवा राजस्व (बिल करने योग्य राशि) सकल दिखाया जायेगा तथा छूट/कटौती के विवरण अलग से दिखाये जायेगे।

मदवार विवरण नीचे दर्शाये गये हैं:-

अ. ग्राहकों को अधित्याग, छूट तथा प्रोत्साहन (प्रोमोज)

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु पेश किये गये डाटा/अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित व्यय की मदें राजस्व से निवल की गई थी:-

- i) ग्राहकों को पेश अधित्याग (₹ 99.09 करोड़)
- ii) ग्राहकों को पेश छूट (₹ 46.77 करोड़)
- iii) प्रोमो टॉक टाईम अंतरण (₹ 0.96 करोड़)

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रोमो टॉक टाईम/यूसेज के अंतर्गत व्यय के रूप में दर्ज ₹ 24.71 करोड़ भी सकल राजस्व की गणना करते समय राजस्व में से निवल किये गये थे। हालांकि, "छूट/साख अधित्याग एवं रायल्टी छूट के रूप में दिये गये प्रोमो टॉक टाईम" ₹ 30.47 करोड़ सकल राजस्व की गणना करने के लिए वापस जोड़े गये थे।

परिणामस्वरूप, अधित्याग, छूट तथा प्रोमो के कारण राजस्व में से निवल हुई कुल राशि ₹ 141.06 करोड़ (अनुलग्नक 8.01) थी। फलस्वरूप, जीआर/एजीआर ₹ 141.06 करोड़ से कम करके बताया गया तथा एलएफ एवं एसयूसी क्रमशः ₹ 13.13 करोड़ एवं ₹ 5.95 करोड़ का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया था (अनुलग्नक 8.02)।

ब. उपभोक्ताओं को प्रदान की गई फुल टॉक टाईम योजना

प्रीपेड ग्राहकों को फुल टॉक टाईम ऑफर के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व ₹ 153.33 करोड़ से निवल हुए थे। परिणामस्वरूप, कथित राजस्व पर एलएफ एवं एसयूसी क्रमशः ₹ 9.76 करोड़ एवं ₹ 4.32 करोड़ (अनुलग्नक 8.03) का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।

स. उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया मुफ्त टॉक टाईम

विभिन्न प्रस्तावों (फ्री एयर टाईम बोनस/फ्री टॉक वैल्यू एकाउंटेड, रिचार्ज कूपन्स (आरसी) पर उपभोक्ताओं को एफटीवी प्रदान करना, अतिरिक्त टॉक टाईम, ज्यादा टॉक टाईम आदि) के कारण प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को ₹ 33.36 करोड़ से निवल किया गया। जिसके परिणामस्वरूप राजस्व ₹ 33.36 करोड़ से घट गया था। फलस्वरूप, कथित राजस्व पर एलएफ एवं एसयूसी का क्रमशः ₹ 2.95 करोड़ एवं ₹ 1.39 करोड़ (अनुलग्नक 8.04) के भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किये गये थे।

द. छूटें

2009-10 के दौरान, व्यय को ₹ 2.82 करोड़ से क्रेडिट करने के कारण (डिस्काउंट ई आर) एयरसेल लिमिटेड से संबंधित प्रीपेड सेवाओं से राजस्व को निवल किया गया था। परिणामस्वरूप, कथित राजस्व पर एलएफ एवं एसयूसी क्रमशः ₹ 0.28 करोड़ एवं ₹ 0.06 करोड़ (अनुलग्नक 8.5) के भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने कहा कि:

- ग्राहकों को दिये गये अधित्याग जो कि सांकेतिक साख बनाने की प्रकृति के थे को ए जी आर की गणना हेतु संबंधित वर्षों में पहले ही पुनः जोड़ दिये गये थे। शेष अधित्यागों जो बिलिंग त्रुटियों की प्रकृति के थे, को अधित्यागों द्वारा ठीक कर लिया गया था।
- छूट/प्रोमो टॉक टाईम अंतरण उपभोक्ताओं को उनके उपभोक्ता अनुभव बढ़ाने या उसको एयरसेल नेटवर्क आदि पर बनाये रखने के लिये उपयोग प्रतिमान पर आधारित दिये जाने वाले अतिरिक्त टॉक टाईम की प्रकृति के हैं। इनके लिये, देयतायें दर्ज की गई थी तथा राजस्व को समय की अवधि के साथ उपयोग के ह्रास के अनुसार लेखा कर दिया गया है तथा राजस्व को एजीआर के उद्देश्य हेतु सम्मिलित कर लिया गया था।
- उपभोक्ताओं को दी गई पूर्ण टॉक टाईम योजना उनको एयरसेल नेटवर्क पर बनाये रखने आदि या नये उपभोक्ताओं को एयरसेल नेटवर्क में ज्वॉइन करने हेतु खींचने/प्रेरित करने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा वैल्यू के लिए दी गई टॉक टाईम प्रकृति के थे।
- एफएटी बोनस/फ्री टॉक वैल्यू/आर सी पर उपभोक्ताओं को दिया गया एफ टी वी, अतिरिक्त टॉक टाईम/उपभोक्ताओं को दिया गया ज्यादा टॉक टाईम उपभोक्ताओं को एयरसेल नेटवर्क पर बनाये रखने आदि या नये ग्राहकों को एयरसेल नेटवर्क में ज्वॉइन करने के लिए खींचने/प्रेरित करने हेतु दिये गये टॉक टाईम की प्रकृति के हैं।
- राजस्व हेतु कंपनी के लेखे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (एएस) 9 के अनुपालन में हैं।
- टीडीसैट ने भी उपरोक्त परिभाषा को अनुमोदित किया तथा 23 अप्रैल 2015 को इस विषयक आदेश पारित करते हुए कहा कि "सकल राजस्व एवं समायोजित सकल राजस्व को परिभाषित करने वाली "राजस्व" की परिभाषा एएस-9 में तथा लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 एवं 19.2 में प्रावधानित की गई परिभाषा के मध्य कोई विरोध नहीं है। जैसा कि खंड 211 (3 ए), 3 (बी) एवं 3 (सी) से सुस्पष्ट है एक दूरसंचार कंपनी, लाइसेंसधारी विधितः अपने लाभ एवं हानि लेखे तथा तुलन पत्र लेखा मानकों के

अनुपालन में बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा लेखा मानकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो कि विशेषज्ञता क्षेत्र में एक निपुण संस्था है द्वारा संहिताबद्ध की गई संस्तुतियाँ हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- “ग्राहकों को प्रदान किये अधित्याग” के कारण राजस्व शीर्षों में पाई गई कुल डेबिट इंदराज में से अर्थात् ₹ 99.09 करोड़, ₹ 98.62 करोड़ (अर्थात् 99.53 प्रतिशत) प्रीपेड राजस्व से संबंधित है, जहाँ पर बिलिंग की कोई अवधारणा नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रीपेड उपभोक्ताओं को अधित्यागों के मामले में, अधित्यागों के कारण कुल ₹ 98.62 करोड़ की डेबिट इंदराज में से, ₹ 98.43 करोड़ को जी एल कोड “प्रीपेड-आर सी प्रोसेसिंग इनकम” में डेबिट किया था, जो यदि, वीएस, टॉक टाइम, किराये आदि, के गलत कटौती के कारण (ग्राहक के खाते से) थे तो अधित्याग के कारण डेबिट केवल उन जीएल कोड्स में ही होना चाहिए था। पोस्ट पेड ग्राहकों को बिलिंग के मामले में, यदि यह बाद में पुष्टि हो जाती है कि बिल में गलती थी तो उसको संबंधित राजस्व कोडों में उलटा/समायोजित किया जाता है। यह पाया गया कि जनरल लेजर में इस प्रकार की अनेक उलटाव एवं समायोजन प्रविष्टियाँ हैं। सामान्य खातों से इन अधित्यागों से संबंधित निकाले गये डाटा के विश्लेषण ने स्पष्टतया इंगित किया कि ये प्रीपेड प्रोसेसिंग आय, वीएस, टॉकटाईम, किराया आदिके कारण थे। यह उल्लिखित नहीं किया गया था कि ये प्रविष्टियाँ गलत बिलिंग के कारण थी। जीआर तैयार करते समय एयरसेल ग्रुप ने ₹ 99.09 करोड़ के अधित्यागों में से, साख अधित्याग के नाम पर ₹ 7.7 करोड़ स्वयं वापस राजस्व में जोड़े हैं।
- छूट/प्रोमो टॉक टाइम अंतरण तथा अधित्याग व्यवसाय वृद्धि के लिए समग्र व्यावसायिक नीति का हिस्सा हैं; इसलिए ऐसे प्रस्ताव/छूट व्ययों की प्रकृति के थे। अतः, लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, जी आर में से घटाने के लिए अनुमत नहीं थे।
- फुल टॉक टाइम/फ्री टॉक टाइम आदि, के मामलों में प्रबंधन ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये प्रस्ताव ग्राहक बनाये रखने एवं संबंध बनाये रखने के लिए दी गई छूट की प्रकृति के थे तथा सेवा राजस्व का हिस्सा था। इसलिए, ऐसे प्रस्ताव/छूट व्ययों की प्रकृति के थे अतः लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के अनुसार, जीआर में से घटाने के लिए अनुमत नहीं थे।
- एफएटी बोनस/फ्री टॉक टाइम/आर सी पर उपभोक्ताओं को दिया एफटीवी/अतिरिक्त टॉकटाईम/उपभोक्ताओं को दिये गये ज्यादा टॉकटाईम के विषय में भी प्रबंधन ने स्वीकार किया कि उपभोक्ताओं को एयरसेल नेटवर्क पर बनाये रखने आदि या नये ग्राहकों को एयरसेल नेटवर्क में ज्वॉइन कराने के लिए खींचने/प्रेरित करने हेतु दिये गये टॉक टाइम के प्रकृति के हैं। इसलिये ऐसे प्रस्तावों/छूटों व्यय के प्रकृति के थे। अतः लाइसेंस अनुबंध के अनुसार जी आर में से कटौती हेतु अनुमत नहीं थे।
- लेखापरीक्षा एस-9 के अनुसार लेखाकरण पर प्रश्न नहीं कर रहा है किन्तु तर्क देता है कि चूँकि ये व्यय लाइसेंस अनुबंध के अनुसार राजस्व के विरुद्ध समंजन नहीं किये जाने थे, अतः इनको एलएफ एवं एसयूसी की गणना करने हेतु जी आर में वापस जोड़ा जाना चाहिए था।
- जबकि यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेखापरीक्षा का यह मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार सेवा राजस्व को सकल रूप में दर्शाया जाना चाहिए बिना किसी संबंधित प्रचार के खर्चे जैसे छूट/अधित्याग/ग्राहकों को दिये गये ऑफर के समंजन के।

8.2.2 राजस्व शीर्षों में शुरूआती डेबिट के कारण राजस्व का आस्थगन

राजस्व के लेखाकरण हेतु कंपनी द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रिया के अनुसार, अग्रिम में प्राप्त राजस्व जबकि देयता के तहत लेखाबद्ध किया गया था, वहीं इस राशि पर एफएटी/एफओसी को चालू राजस्व में डेबिट किया गया था। इसके कारण, चालू राजस्व एफएटी/एफओसी की सीमा तक कम लेखा हुआ था परिणामस्वरूप इस राशि पर एल एफ एवं एस यू सी का आस्थगन हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने हमारे उपरोक्त पर्यवेक्षण पैरा 8.2.1 के सापेक्ष दिये उत्तर को दोहराया।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अग्रिम में प्राप्त राजस्व के एफएटी/एफओसी के चालू राजस्व में शुरूआती डेबिट करना चालू राजस्व को डेबिट की गई राशि तक एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान में फलित हुआ है।

8.2.3 वितरकों को अनुमत कमीशन/छूट से संबंधित राजस्व के समंजन के कारण प्रीपेड राजस्व को कम प्रतिवेदित करना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत किये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह देखा गया कि लेखों में लिया गया राजस्व वितरकों को इलेक्ट्रॉनिक/पेपर रिचार्ज कूपन की बिक्री के समय दिया गया निवल कमीशन/छूट था। इसके अतिरिक्त, वितरकों को दिया गया पूर्वोक्त कमीशन/छूट को सकल राजस्व/एजीआर की गणना करते समय भी वापस नहीं जोड़ा गया था। यह लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन था जिसने स्पष्टतया बताया कि सकल राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल दिखाये जायेंगे और छूट/कटौती के विवरण अलग से दर्शाये जायेंगे तथा सकल राजस्व संबंधित व्यय की मद के लिए बिना किसी समंजन के होगा।

इस सम्बन्ध में, जब लेखापरीक्षा ने इलेक्ट्रॉनिक/पेपर रिचार्ज कूपन की बिक्री के समय वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन/छूट की राशि/प्रतिशत के विवरण की जानकारी चाहने का प्रश्न उठाया तो प्रबंधन द्वारा संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गई थी। ऐसी परिस्थितियों में, लेखापरीक्षा ने विद्यमान प्रतिशत के औसत के आधार पर (अर्थात् प्रीपेड-राजस्व का 4 प्रतिशत⁴) 2006-07 से 2009-10 के दौरान वितरकों को भुगतान किये गये कमीशन के रूप में ₹ 272.60 करोड़ की गणना की।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि:-

- यह प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि प्री-पेड वाउचर्स अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) दर्शाते हैं तथापि पार्टियों के मध्य अनुबंध के अनुसार वितरकों को ये वाउचर्स कम मूल्य पर बेचे जाते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि प्री-पेड वाउचर्स की बिक्री एक 'प्रिसिपल टू प्रिसिपल' लेन-देन है।
- इसके अतिरिक्त, टीडीसैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा है कि "हमारे विचार में "सकल राजस्व" की परिभाषा को लाइसेंसधारक को सेवा के लिए एक थोक मूल्य, जो कि एमआरपी से निम्नतर है, नियत करने हेतु बाधक नहीं माना जा सकता। परीक्षा का विषय यह है कि वास्तविक लेनदेन कैसे होता है? यदि बिक्री एवं बीजांकन एमआरपी पर है तथा कोई छूट अलग से दी जाती

4 4% (3 से 5% का औसत, 2006-07 से 2009-10 के दौरान विद्यमान प्रतिशत)

है, तब धारा 19.1 के अनुसार ऐसी छूट घटाने योग्य नहीं है चाहे लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज राजस्व छूट को निवल करने के उपरान्त ही है। दूसरी तरफ, यदि बिक्री एक उल्लिखित/सम्मत मूल्य पर है, उस सम्मत मूल्य पर बीजांकित है तथा तदनुसार लाभ एवं हानि लेखा में राजस्व के तहत दर्ज है, बिना किसी छूट को निवल किये हुए, तब वास्तविक बिक्री मूल्य राजस्व तथा एमआरपी एवं इस बिक्री मूल्य के मध्य अंतर होगा जिसे "सकल राजस्व" में नहीं जोड़ा जा सकता है।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण पैरा 3.2.1 (ए) में व्याख्यातित जैसा है। जबकि यह मामला माननीय सर्वाच्च न्यायालय में विचाराधीन है लेखापरीक्षा का यह मत है कि 8.2.3 डिस्ट्रीब्यूटर/फ्रेंचाइजी/डीलर को भुगतान किया गया कमीशन/मार्जिन विपणन व्यय के प्रकृति के हैं अतः इन खर्चों का राजस्व से समंजन लाइसेंस की शर्तों के विरुद्ध था।

इस प्रकार, वितरकों/एजेंटों/विक्रेताओं को दिये गये कमीशन ₹ 272.60 करोड़ को निवल करना जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 22.31 करोड़ एवं ₹ 9.64 करोड़ (अनुलग्नक 8.06) में परिणीत हुआ है।

8.2.4 "इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक" के कारण समंजन से राजस्व को कम प्रतिवेदित करना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु प्रस्तुत डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि, फरवरी 2009 एवं मार्च 2010 के दौरान, "इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक/इम्पैक्ट ऑफ सर्विस टैक्स रेट चेन्ज ऑन मार्केट स्टॉक/आदि" के कारण प्री-पेड सेवाओं से राजस्व को ₹ 3.4 करोड़ से निवल किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, प्रबंधन द्वारा यह कहा गया कि यह सेवा कर की दर में वृद्धि के कारण बाजार स्टॉक प्रभाव का अंतर प्रतीत होता है। सेवा कर की दर में बदलाव हेतु प्रविष्टियाँ बाद की तिथि में अंकित हैं इसलिए, बाजार स्टॉक से ग्राहकों को देयता अंतरण के लिए प्रविष्टि पारित करते समय, देयता को पुराने सेवा कर की दर के आधार पर अंतरित किया है और तदनुसार ऐसी देयता के कारण राजस्व को आधिक्य में अंकित कर दिया था। इसलिए, दर्ज अधिक राजस्व का परिशोधन करने के लिए सेवा कर बदलाव के अंतर के बराबर राशि को राजस्व शीर्षों में डेबिट तथा देयता में क्रेडिट किया गया है। इसलिए, हमारा निवेदन है कि लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए उपरोक्त को एजीआर के राजस्व में एक बार फिर नहीं जोड़ा जाये।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सेवा कर की दर मार्च 2010 के दौरान संशोधित नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2009 से संबंधित प्रकरणों के संबंध में यह कहा जाता है कि इन सभी प्रकरणों में प्रोसेसिंग फीस/एक्टिवेशन चार्ज/अन्य प्रावधान में अनुरूप क्रेडिट प्रविष्टियाँ की गई थी, जो कि कहीं भी सेवा कर देयता से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार "इम्पैक्ट ऑफ मार्केट स्टॉक" के कारण राजस्व को निवल करना वर्ष 2009-10 में जीआर/एजीआर को ₹ 3.4 करोड़ से कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 0.34 करोड़ एवं ₹ 0.14 करोड़ (अनुलग्नक 8.07) में परिणीत हुआ।

8.2.5 अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व का जीआर/एजीआर के लिए विचार न करना

जैसा कि पैरा 1.4 (ए) में वर्णित है, सकल राजस्व अनुज्ञेय इन्फ्रास्ट्रक्चर हिस्सेदारी से राजस्व तथा कोई अन्य विविध राजस्व, संबंधित व्यय की मद आदि के लिए कोई समंजन किये बिना, को सम्मिलित करके होगा।

एयरसेल ग्रुप द्वारा स्वामित्व वाले दूरसंचार इन्फ्रास्ट्रक्चर (टॉवर्स, नेटवर्क उपकरण आदि) अन्य दूरसंचार कंपनियों से साझे किये गये थे। उन्होंने इन्फ्रास्ट्रक्चर (साईट) साझेदारी के लिए अन्य दूरसंचार कंपनियों से अनुबंध किये हैं। अन्य ऑपरेटरों से किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार सैल साईट की साझेदारी के लिए अन्य ऑपरेटरों से शुल्क वसूला गया था, जो कि साईटों की केपेक्स लागत के निश्चित प्रतिशत तथा एयरसेल ग्रुप द्वारा खर्च किये गये ओपेक्स लागत पर आधारित था।

2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी शुल्कों से संबंधित डाटा/अभिलेखों की जाँच से यह देखा गया कि किराया, ईंधन (डीजल), विद्युत, नेटवर्क खर्च, मरम्मत एवं रखरखाव तथा सुरक्षा के मद में वसूली-योग्य/वसूल किये हुये इन्फ्रास्ट्रक्चर/साईट साझेदारी शुल्क ₹ 67.12 करोड़ उनके संबंधित व्ययों की मदों से निवल किये गये थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यह उत्तर दिया गया कि—

- इन्फ्रास्ट्रक्चर साझेदारी के लिए दो प्रकार के भुगतान प्राप्त किये जाते हैं यानि सुविधा के उपयोग के लिए आरोपित शुल्क तथा मरम्मत एवं रख-रखाव, विद्युत, डीजल आदि पर किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में। सुविधा के उपयोग के लिए शुल्कों को राजस्व के रूप में दर्ज किया था जबकि लागतों की प्रतिपूर्ति को संबंधित खर्च में कमी के रूप में दर्ज किया था। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि खर्चों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी लेखे लेखा मानक एएस 29 के अनुपालन में है।
- टीडीसैट ने अपने अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा है कि “जैसा कि खण्ड 211 (3 ए), (3 बी) एवं (3 सी) से सुस्पष्ट है, एक दूरसंचार कंपनी, लाइसेंसधारी विधितः अपने लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र लेखा मानकों के अनुपालन में बनाने के लिए अधिदेशाधीन है। उच्चतम न्यायालय द्वारा लेखा मानकों को पर्याप्त महत्व दिया गया है क्योंकि वे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकान्टन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा संहिताबद्ध की गई संस्तुतियाँ हैं जो कि विशेषज्ञता क्षेत्र में एक निपुण संस्था है”। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि, टीडीसैट ने अपने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में भी कहा है कि “जबकि सुविधा के उपयोग के लिए किया गया कोई भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा राजस्व के रूप में लिया जाना है, एक व्यय के प्रतिपूर्ति की प्रकृति का एक भुगतान तथा जो बीजक में अलग से स्पष्टतया ऐसा दिखाया गया है, को राजस्व के रूप में नहीं लिया जाये बशर्ते यह लाभ एवं हानि खाते में राजस्व के रूप में दर्ज नहीं किया है।”

प्रबंधन उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण पैरा 3.2.4 में व्याख्यातित जैसा है। जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। लेखापरीक्षा का यह मत है कि डीजल व्यय, सुरक्षा व्यय, मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय और विद्युत शुल्क से प्राप्त राजस्व प्रतिपूर्ति के कारक नहीं हैं क्योंकि यह तो खर्च होंगे ही, इससे निरोक्ष कि टावर सांझ किये जाते हैं या नहीं। असल में, खर्च के सांझा करने से कंपनी को अतिरिक्त लाभ हुआ।

इस प्रकार अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों से, 2006-07 से 2009-10 तक संबंधित, लागत से प्राप्त/प्राप्त होने योग्य साईट साझेदारी राजस्व का निवल करना ₹ 67.12 करोड़ से जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसएयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 5.45 करोड़ एवं ₹ 2.26 करोड़ (अनुलग्नक-8.08) में परिणीत हुआ।

8.2.6 फोरेक्स लाभ से राजस्व का जीआर/एजीआर में कम/गैर विचार

एयरसेल ग्रुप के लाभ एवं हानि खाते में विदेशी विनिमय लाभ/हानि के सम्बंध में लेनदेनों को दर्ज करने के लिए परिचालित किये गये लेखा शीर्षों के तहत कुल शुद्ध शेष "अन्य आय" की अनुसूची में विदेशी विनिमय गेन (शुद्ध) के रूप में सम्मिलित किये गये थे।

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि एयरसेल के लिए कुल वसूला गया फोरेक्स लाभ ₹ 16.57 करोड़ था, जिसमें से, 2006-07 से 2008-09 के दौरान एयरसेल लिमिटेड एवं एयरसेल सेलुलर लिमिटेड के यूएसएल/सीएमटीएस लाइसेंसों के अंतर्गत फोरेक्स लाभ ₹ 6.54 करोड़ मात्र को ही एजीआर में विचार किया गया था। एजीआर हेतु कुल प्राप्त किये गये फोरेक्स लाभ ₹ 15.13 करोड़ को विचार नहीं किया गया था।

उपरोक्त वसूले गये गेन की गणना उस विशिष्ट मद के वास्तविक लाभ को प्रस्तुत नहीं करती क्योंकि कंपनी विदेशी विनिमय लाभ/हानि शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित सभी मदों के मूल्यों की प्रतिवर्ष पुनः गणना करती है, परिपक्व मदें प्राप्त लाभों के रूप में लेखा की जाती हैं तथा अपरिपक्व मदें अप्राप्त लाभ के अंतर्गत रहती हैं। इस प्रकार, उस वर्ष में एक विशिष्ट मद का प्राप्त लाभ, अंतवर्ती अवधि के दौरान अप्राप्त के अंतर्गत, उस मद के लाभों/हानियों को अप्राप्त के अन्तर्गत लेखा के कारण उस वर्ष में वास्तविक लाभ नहीं होगा। लेखापरीक्षा प्रत्येक मद के मूल मूल्य के अभाव के कारण प्रतिवर्ष प्राप्त हुए लाभ के अंतर्गत लेखा किये गये मदों के वास्तविक मूल्य की गणना नहीं कर सका। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने तिमाही शुद्ध गेन, लेखा शीर्ष-वार तथा एलएसए वार, पर विचार किया है, क्योंकि उपलब्ध कराये गये डाटा से लाभों की संख्या को पृथक/एकत्र करना लेखापरीक्षा के लिए संभव नहीं था। ऑपरेटर को प्रत्येक मद के लाभ की गणना इसके प्रारंभिक लेखा मूल्य के संदर्भ में करनी चाहिए तथा कुल फोरेक्स गेन को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन ने कहा कि:-

- लाभ दो प्रकार के हैं। पहला, पूँजीगत सामानों जैसे उपकरण हेतु भुगतानों की तरफ देयता की कमी तथा आऊट-रोमर हेतु रोमिंग शुल्क है। दूसरा, प्राप्तियों में वृद्धि जैसे इन-रोमर हेतु रोमिंग प्रभार है। पहले प्रकरण में पूँजीगत सामानों हेतु भुगतान के कारण देयता में कमी मात्र कीमत की एक कमी है। चूँकि उपकरण की कीमत का लाइसेंस फीस पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि उसकी गणना सकल राजस्व पर की जाती है, लागत में किसी कमी के कारण उत्पन्न कोई लाभ को भी लाइसेंस फीस के लिए भी लेखा में नहीं लेना चाहिए तथा उद्देश्य हेतु राजस्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। रोमिंग शुल्कों के भुगतान के संबंध में, चूँकि यह वास्तविक आधार पर अनुमत है न कि उपचय आधार पर, निवल के मामले में वास्तविक भुगतान की गई राशि या समंजन की गई राशि, को धारा 19.2 के तहत सकल राजस्व में से घटाने की अनुमति दी जा सकती है। इन-रोमर्स के कारण रोमिंग राजस्व के प्रकरण पर, चूँकि इसे राजस्व में उपचय आधार पर लेखा किया जाना है, लाइसेंस फीस एएस-9 के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की गई राजस्व पर होनी चाहिए।

प्राप्य राशियों के किताबी मूल्य में बाद में कोई परिवर्तन केवल तब तक सांकेतिक हैं जब तक वह वास्तव में प्राप्त नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, वास्तविक भुगतान के समय मुद्रा दर पर निर्भर होने के कारण वास्तविक प्राप्ति कम या ज्यादा हो सकती है। चूँकि यदि वास्तविक प्राप्ति कम है तो कोई छूट नहीं दी जाती है अतः यदि वह ज्यादा है तो कोई लाइसेंस फीस नहीं ली जानी चाहिए।

- पुनः यह प्रस्तुत किया जाता है कि टीडीसेट द्वारा 23 अप्रैल 2015 को सुनाये गये निर्णय के अनुसार, विदेशी विनिमय उतार-चढ़ाव के कारण किसी लाभ और हानि का लाइसेंस फीस पर कोई असर नहीं होगा।”
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश में निम्नवत् निदेशित किया है:

अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस को वसूल करने के लिए, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे”

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:—

- लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार जी आर में कोई अन्य विविध राजस्व सम्मिलित होता है।
- जबकि मामला माननीय मद्रास न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि पीएसपी को कोई आकस्मिक लाभ जी आर के लिए विचारणीय है।

इस प्रकार 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि से संबंधित प्राप्त हुए विदेशी विनिमय लाभों का गैर समावेश ₹ 15.13 करोड़ से जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 1.23 करोड़ एवं ₹ 0.31 करोड़ (अनुलग्नक-8.09) में फलित हुआ है।

8.2.7 जीआर/एजीआर हेतु ब्याज आय का नहीं/कम विचार किया जाना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि बैंक जमाओं व सावधि जमाओं में ब्याज के कारण कुल आय में से ₹ 200.20 करोड़, 98.89 करोड़ को 2006-07 से 2009-10 के दौरान जीआर/एजीआर में राजस्व के रूप में विचार नहीं किया गया था (अनुलग्नक-8.10), जो कि लाइसेंस अनुबंध का उल्लंघन है। लाइसेंस अनुबंध में जीआर की परिभाषा स्पष्टतया ब्याज से प्राप्त आय को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर प्रबंधन द्वारा यह कहा गया था कि:—

- सकल राजस्व में सरकार के हिस्से के कारण देयता पूर्ण करने के बाद एक लाइसेंसधारक द्वारा की गई बचतों के निवेश पर अर्जित ब्याज को एजीआर में से हटाना ही चाहिए। आय में से बचत का निवेश, जिसने लाइसेंसधे दूरसंचार क्रियाकलाप से अपनी समस्त कड़ियां तोड़ दी हैं पुनः आय का एक उपयोग है, जिससे उत्पन्न राजस्व एजीआर की सीमा में नहीं आता है। उसी प्रकार, दूरसंचार सेवा को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में किसी अस्थाई आधिक्य निधियों के इस्तेमाल से मिला राजस्व या धन के मूल्य को मियादी जमाओं, सिक्करीटीज या म्यूच्यूल फंडस से अधिकतम करने को दूरसंचार क्रियाकलाप से एक आय के रूप में नहीं कहा जा सकता तथा इसलिए लाइसेंस फीस की गणना करने के लिए एजीआर में समावेशित नहीं किया जा सकता। इसलिए, ऐसा ब्याज, सेवा

के द्वारा या लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारक को व्यवसाय या लाइसेंस के तहत सेवा प्रदान करने के लिए किये जा रहे व्यवसाय से दूर तक भी संबंधित नहीं होने के बावजूद, उत्पन्न राजस्व नहीं माना जा सकता है।

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है:

अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- जबकि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध में जी आर के परिभाषा में रेवेन्यू शेयर के जी आर/ए जी आर के गणना हेतु ब्याज से प्राप्ति को सम्मिलित करना स्पष्टतया दिया गया है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2009-10 की समयावधि से संबंधित ब्याज आय का गैर-समावेश ₹ 98.89 करोड़ से जी आर/ए जी आर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 6.74 करोड़ एवं ₹ 2.66 करोड़ (अनुलग्नक 8.10) में परिणीत हुआ है।

8.2.8 निवेश से आय को राजस्व हिस्से के भुगतान हेतु जी आर/ए जी आर के लिए विचार न किया जाना।

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि 2006-07 से 2009-10 के दौरान निवेशों से हुई आय ₹ 9.01 करोड़ को जीआर/एजीआर के लिए राजस्व के रूप में बिल्कुल विचार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न में, प्रबंधन ने कहा कि:-

- आय की प्रकृति, लाभांश होने के कारण, किसी लाइसेंसड क्रियाकलाप का कारण नहीं है। अतः, किसी भी प्रकृति के निवेशों, चाहे जो भी हों, के कारण जो कोई भी लाभांश अर्जित किया जाता है, लाइसेंसड क्रियाकलाप से उपार्जित आय का हिस्सा नहीं है।
- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश से निम्नानुसार आदेशित किया है:-

“अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे।”

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है, तब कि-

जब मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा में निवेश से आय को रेवेन्यू शेयर की गणना हेतु सम्मिलित करना स्पष्टतया प्रावधानित करता है।

इस प्रकार 2008-09 से 2009-10 तक की समयावधि से संबंधित निवेश पर आय का गैर-समावेशन ₹ 9.01 करोड़ से जीआर/एजीआर को कम बताने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 0.90 करोड़ एवं ₹ 0.37 करोड़ (अनुलग्नक 8.11) में परिणीत हुआ है।

8.2.9 जीआर/एजीआर हेतु विविध आय का विचार न किया जाना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि विविध आय की निश्चित मदें जैसे संयुक्त संविदा से आय, सॉफ्टवेयर सेवाओं से आय, परियोजना प्रबंधन से आय, नोटिस वेतन (कुछ एल एस ए में कुछ प्रकरणों को छोड़कर), कबाड़ बेचने के कारण आय, लागत की प्रतिपूर्ति आदि, एजीआर की गणना करते समय रेवेन्यू शेयर के उद्देश्य से विचार नहीं किये गये थे।

- i) 2006-07 एवं 2008-09 के दौरान डीडब्लूएल में एजीआर हेतु कारपोरेट आय ₹ 93.63 करोड़ पर विचार नहीं किया गया था। इस राशि पर एल एफ और एस यू सी का कम भुगतान ₹ 5.70 करोड़ और ₹ 2.16 करोड़ बनता है। (अनुलग्नक 8.12)
- ii) कर्मचारियों से नोटिस वेतन वसूली को जीआर/एजीआर के उद्देश्य से राजस्व नहीं माना गया था (2009-10 में डीडब्लूएल में कुछ प्रकरणों को छोड़कर)। 2009-10 के दौरान मैसर्स डीडब्लूएल के कुछ एलएसए में (अर्थात् यूपी (पश्चिम), बिहार एवं झारखंड, असम, उत्तर पूर्व एवं एनएलडी) नोटिस वेतन एजीआर में सम्मिलित था तथा इस पर एलएफ का भुगतान किया गया था। नोटिस वेतन की वसूली की कुल राशि ₹ 5.56 करोड़ थी जिसमें से ₹ 0.58 करोड़ 2009-10 के दौरान एजीआर हेतु विचार किया गया तथा कुल राशि जिसमें एलएफ/एसयूसी का भुगतान किया जाना शेष हैं ₹ 4.98 करोड़ है। कम भुगतान किये गये एस एफ और एस यू सी की राशि क्रमशः ₹ 0.40 करोड़ और ₹ 0.13 करोड़ बनता है। (अनुलग्नक 8.13)
- iii) लाइसेंस फीस/एसयूसी के उद्देश्य से जीआर/एजीआर की गणना करते समय विविध आय/कबाड़ की विक्री से प्राप्त अन्य आय, लागत की प्रतिपूर्ति (बीमा दावों को छोड़कर) की राशि ₹ 1.59 करोड़ को राजस्व के रूप में विचार नहीं किया गया है। कम भुगतान किये गये एल एफ और एस यू सी की राशि क्रमशः ₹ 0.11 करोड़ और ₹ 0.03 करोड़ बनते हैं। (अनुलग्नक 8.14)

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर, प्रबंधन ने कहा कि:-

- कारपोरेट आमदनियाँ लाइसेंसड क्रियाकलाप से उत्पन्न नहीं होती हैं तथा ऐसा करने हेतु किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त गैर-दूरसंचार व्यवसाय हेतु पृथक विभागीय लेखा खाते बनाये गये हैं जिसका किसी अन्य दूरसंचार परिमंडलों के लाइसेंसड क्रियाकलापों से कोई अंतर्संबंध नहीं है।

“नोटिस पे रिकवरी” कर्मचारियों से सेवाओं के समापन पर प्राप्त आय से बनती है जो न तो ग्राहकों से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण उपार्जित होती है इसलिए यह एजीआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए।

“विविध आय/अन्य आय” कबाड़ की बिक्री, बीमा दावा, लागत की प्रतिपूर्ति आदि से आय को सम्मिलित करती है जो न तो ग्राहकों से और न ही अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार सेवायें प्रदान करने के कारण उपार्जित होती है। इसलिए, ये एजीआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन

आमदनियों के लिए कोई दूरसंचार लाइसेंस की भी आवश्यकता नहीं है।

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश में निम्नानुसार आदेशित किया है:—

अग्रिम आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस की वसूली हेतु, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे”।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:—

- लाइसेंस अनुबंधों में जीआर की परिभाषा स्पष्टतया विविध आय को राजस्व हिस्से की गणना हेतु जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना प्रदान करती है। जैसा कि पहले वर्णित है, बीमा दावों की ए जी आर से अपवर्जित किया गया है।
- जबकि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि विविध आय को लाइसेंस अनुबंधों के अनुसार जी आर/ए जी आर गणना हेतु शामिल करना चाहिए।

8.2.10 राजस्व हिस्से के भुगतान हेतु स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से आय का विचार न करना

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009-10 तक की समयावधि हेतु उपलब्ध कराये गये डाटा/अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया कि स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री की आय को राजस्व हिस्से की गणना हेतु जी आर/ए जी आर में शामिल नहीं किया गया जैसा कि नीचे विस्तार से दिया गया है :-

तालिका – 8.3

कम्पनी का नाम	वर्ष	जी आर/ए जी आर के लिये नहीं विचार की गई राशि (₹ करोड़ में)	अनुबन्ध का संदर्भ
डिशनैट वायरलैस लिमिटेड	2007-08	10.04	8.15
एयरसेल लिमिटेड	2009-10	23.88	8.16
एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड	2007-08	0.01	8.17
	2009-10	7.24	
कुल		41.17	

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न में प्रबंधन ने कहा कि—

- स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री, जिन पर पूँजीगत लाभ हुये हैं, को लाइसेंसद क्रियाकलाप का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। वह स्तर जिसमें स्थायी परिसंपत्तियों को क्रय करने हेतु निधियाँ उपयोग की जाती हैं उनके द्वारा एजीआर से अपने संबंध विच्छेदन के उपरांत है। अतः, स्थायी परिसंपत्तियों आदि की बिक्री से प्राप्त लाभ एजीआर का हिस्सा नहीं होना चाहिए। परिसंपत्तियों की बिक्री से हुए पूँजीगत लाभ अच्छी तरीके से आयकर के दायरे में हैं तथा कर प्राधिकारियों द्वारा इनके मूल्यांकन के दौरान ऑपरेटर से अलग से चार्ज किये जाते हैं तथा यह कानून का सामान्य सिद्धांत है कि राज्य द्वारा वही दोबारा प्रभारित नहीं किया जा सकता। यदि लाइसेंस प्रदाता भी लाइसेंसधारक से एजीआर के एक

निश्चित प्रतिशत के रूप में इस पूँजीगत लाभ के एक हिस्से पर अपना अधिकार जताता है, तब राज्य दोहरे कराधान में लिप्त हो रहा है जो कि विधितः अनुमत नहीं है।

- माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 22 जून 2012 के एक आदेश में निम्नवत् निर्देशित किया है:
“अगले आदेशों तक, याचिकाकर्ता की गैर-दूरसंचार क्रियाकलापों के संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा देय लाइसेंस फीस को वसूलने के लिए, प्रतिवादियों द्वारा कोई अवपीड़क कदम नहीं लिये जायेंगे”
- इसके अतिरिक्त, टी डी सैट ने अपने दिनांक 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में कहा है कि “उपर किये गये विचार-विमर्शों के प्रकाश में तथा विशेष रूप से एएस-9 के अनुसार राजस्व की पहचान के दृष्टिकोण से “पूँजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ एवं कबाड़ की बिक्री से प्राप्ति” को लाइसेंस फीस की गणना करने हेतु “सकल राजस्व” में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है, लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.1 विशिष्ट अंतर्वाहों को “सकल राजस्व” का हिस्सा बनाने के रूप में वर्णित करती हैं। विचाराधीन मद स्पष्टतया धारा 19.1 में प्रगणित किसी भी अंतर्वाहों में नहीं आती है। पूँजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति से भिन्न हैं; अतः पूँजीगत प्रकृति की प्राप्ति “सकल राजस्व” में जोड़ी नहीं जा सकती (पैरा 19.2)।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:-

- लाइसेंस अनुबंधों में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जीआर की परिभाषा स्पष्टतया विविध आय को जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना प्रदान करती है।
- जबकि मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है लेखा परीक्षा का मत है कि पी एस पी को कोई भी आकस्मिक लाभ जी आर के लिये विचारणीय है।

इस प्रकार कंपनी के खातों की पुस्तकों में दर्ज स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री से लाभ ₹ 41.17 करोड़ को कंपनी द्वारा, डीओटी को देय राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु जीआर/एजीआर में सम्मिलित करना चाहिए। परिणामस्वरूप, कथित राजस्व पर कंपनी द्वारा एलएफ एवं एसयूसी के भुगतान क्रमशः ₹ 3.72 करोड़ एवं ₹ 1.34 करोड़ (अनुलग्नक 8.18) नहीं किये थे।

8.2.11 परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ का गैर-समावेशन

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जून 2010 में अनुमोदित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट (एसओए) के अनुसार एयरसेल ग्रुप के तीनों कंपनियों – एयरसेल लिमिटेड (ए एल), एयरसेल सेल्यूलर लिमिटेड (ए सी एल) और डिशनेट वायरलैस लिमिटेड (डी डब्ल्यू एफ) के निष्क्रिय परिसंपत्तियों को एक मुश्त राशि देकर चेन्नई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सी एन आई एफ) को स्थानांतरित किया जाना था। स्कीम को लागू करने की तारीख 1 जुलाई 2010 थी। इसी प्रकार तीनों कंपनियों के परिसंपत्तियों का 1 जनवरी 2010 को पुनर्मूल्यांकन किया गया और पुनर्मूल्यांकन से अर्जित लाभ ₹ 3612.04 करोड़ को 2009-10 के लेखा में जनरल रिजर्व में लेखांकित किया गया जो कि एस ए ओ के अनुसार सारे प्रयोजनों के लिए फ्री रिजर्व के रूप में माना गया। उपरोक्त लाभ में कंपनी के निष्क्रिय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से अर्जित लाभ शामिल हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एस ओ ए प्रभाव होने की तारीख, आदेश को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में दायर करने की तारीख थी। तदनुसार, परिसंपत्तियों को स्थानांतरण एस ओ ए के अनुसार जुलाई 2010 को प्रभावित हुआ।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि निष्क्रिय परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से अर्जित लाभ ₹ 3390 करोड़ जो सी एन आई एल को स्थानांतरित किये गये थे को 2009-10 के रेवेन्यू शेयर के लिये विचार नहीं किया गया। प्रबंधन ने यह सूचित किया कि जुलाई 2010 के पहले के अर्थात् रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के समक्ष

आदेश को दायर करने से पहले विक्रय के लेन-देन/परिसंपत्तियों के स्थानांतरण की रिकॉर्डिंग न्यायालय की अवमानना मानी जाती।

जैसा कि एस ओ ए के लागू होने की तारीख इस लेखापरीक्षा के कालावधि से बाहर है यह पता नहीं चल सका कि क्या सी एन आई एल को स्थानांतरित किये निष्क्रिय परिसंपत्तियों से अर्जित लाभ भी बाद के वर्षों में एल एफ और एस यू सी के गणन हेतु सूचित किये गये या नहीं।

8.3 एजीआर विवरणों में अनियमित/अधिक कटौती का दावा करने के कारण राजस्व अंश का कम/गैर-भुगतान

8.3.1 एजीआर की गणना करने में जीआर में से बट्टे-खाते में डाले गये अशोध्य ऋणों की अनियमित कटौती

लाइसेंस अनुबंध की धारा 19.2 के अनुसार एजीआर की गणना करने में निम्नलिखित केवल तीन मदें ही जीआर में से हटाये जाने के लिए अनुमत हैं—

- अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भारत के अंदर वास्तव में भुगतान किये गये पीएसटीएन सम्बन्धित कॉल चार्ज (एक्सेस चार्ज)
- अन्य पात्र/हकदार दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को वास्तव में पारित रोमिंग राजस्व तथा,
- यदि सकल राजस्व में बिक्री कर एवं सेवा कर को घटक के रूप में सम्मिलित किया गया था तो वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया सेवा के प्रावधान पर सेवाकर तथा बिक्री कर।

एयरसेल ग्रुप द्वारा 2006-07 से 2009 तक की समयावधि के लिए उपलब्ध कराये डाटा/अभिलेखों की समीक्षा ने उजागर किया कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, एयरसेल सेलुलर लिमिटेड के लिए सकल राजस्व की गणना करते समय बट्टे खातों में डाले गये अशोध्य ऋण ₹ 24.70 करोड़ राजस्व में से घटा दिये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 के लिए जीआर/एजीआर में ₹ 24.70 करोड़ से कमी हो गयी।

लेखापरीक्षा के एक प्रश्न पर, प्रबंधन ने कहा कि—

- 2009-10 में बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण टीडीसैट के दिनांक 30 अगस्त 2007 के निर्णय के पालन में एजीआर में से घटाये गये थे जिसने कहा कि “अशोध्य ऋण सेवा प्रदाता द्वारा वास्तव में खोया पैसा है। इसलिए, ऐसी हानियाँ एजीआर में से हटाई जानी चाहिए। ऐसी हानियों के कारण राशियों को एजीआर में सम्मिलित करने की अनुमति देने का अर्थ होगा कि जबकि पार्टी हानि उठाती है तथापि इसे हानि पर भी लाइसेंस फीस का भुगतान करना है।” उपरोक्त निर्णय अभी भी लागू है क्योंकि दिनांक 23 अप्रैल 2015 के टीडीसैट के नये निर्णय ने अभी तक अंतिमता प्राप्त नहीं की है और उसे डीओटी द्वारा उच्चतम न्यायालय के सम्मुख चुनौती दी गयी है।
- हमारे विचार में, अशोध्य ऋण सेवा प्रदाता की धनराशियों को उगाहने की विफलता का द्योतक है। इन मदों पर लाइसेंस फीस आरोपित करने का अर्थ ऑपरेटरों को दोहरे जोखिम के अधीन करना है— धनराशियों की वसूली में विफलता के कारण उन्हें राजस्व की हानि है।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:—

- जवाब में संदर्भित टी डी सैट का दिनांक 30 अगस्त 2007 का फैसला को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11 अक्टूबर 2011 के फैसले में किनारे कर दिया था।
- लाइसेंस अनुबंध एजीआर की गणना करने में अशोध्य ऋण को जीआर में से घटाने का प्रावधान नहीं करता।
- जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि लाइसेंस अनुबंध के अनुसार अशोध्य ऋण की जी आर में कटौती नहीं करनी है।
यह ₹ 24.70 करोड़ से एजीआर को कम बताये जाने तथा एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान क्रमशः ₹ 2.47 करोड़ एवं ₹ 1.05 करोड़ में परिणीत हुआ है।

8.3.2 आईएसपी (आईटी) एजीआर में अधिक कटौतियों का दावा किया गया

“इंटरनेट सेवाओं (इंटरनेट टेलीफोनी सहित) के प्रावधान हेतु लाइसेंस अनुबंध की सेवा एवं शर्तों” के अनुरूप समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की गणना करने के उद्देश्य से डीओटी द्वारा जारी अपने पत्र दिनांक 3 मार्च 2006 में संशोधन के अनुसार, निम्नलिखित सकल राजस्व में से हटा दिये जायेंगे:

- इंटरनेट एक्सेस से प्रभार, इंटरनेट कंटेंट एवं इंटरनेट एक्सेस संबंधित संस्थापना प्रभार
- यदि सकल राजस्व ने बिक्री कर एवं सेवा कर को घटक के रूप में शामिल किया तो वास्तव में सरकार को भुगतान किया गया सेवा के प्रावधान पर सेवा कर तथा बिक्री कर।

डीडब्ल्यूएल के आईएसपी (आईटी) लाइसेंस के सम्बंध में वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लेखापरीक्षित एजीआर की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि डीडब्ल्यूएल द्वारा दावा की गई कुल कटौती ₹ 96.52 करोड़ थी जिसमें से ₹ 7.50 करोड़ की कटौती ग्राहक-परिसर संयंत्र किराया कॉरपोरेट को मेलबॉक्स समाधान, सर्वर कोलो चार्ज आदि से संबंधित है, जो कि आईएसपी (आईटी) हेतु लाइसेंस अनुबंध की किसी भी अनुमत कटौतियों के वर्ग में नहीं आती, परिणामस्वरूप एजीआर समान राशि से कम बताया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर यह उत्तर किया गया कि:-

तालिका – 8.4

जी एल का वर्णन	टिप्पणी
अंतर मंडलीय सेवाओं से आय	कंपनी ग्राहकों द्वारा प्रयोग किये लीज लाईन (ईआई) हेतु प्रभार ले रही है। कंपनी द्वारा जारी किये गये बीजक एवं वसूले प्रभार लीज लाईन की प्रकृति के हैं यद्यपि वे लीज लाईनों के कारण पोर्ट प्रभारों के रूप में बिल किये गये हैं। ये लीज लाईन प्रभार इंटरनेट एक्सेस प्रभारों के विरुद्ध हैं तथा उसको समान वर्ग के तहत रखा गया है। सेवाओं की कनेक्टिविटी के प्रावधान हेतु पोर्ट कंपनी की एक तकनीकी व्यवस्था है जिसके लिए प्राइवेट ऑपरेटर्स में से किसी के द्वारा ग्राहकों को बिल नहीं किया जाता। ग्राहकों को बिल किये प्रभार केवल लीज लाईन प्रकृति के हैं यद्यपि वे पोर्ट चार्ज के नाम से बिल किये जाते हैं। यहां तक कि वर्तमान अवधियों में जारी बीजकों की भी समान नामावली है।

सी पी ई किराये से आय-अंतर कंपनी	कंपनी इंटरनेट सेवायें प्रदान करने के लिए ग्राहक के परिसर में उपकरण संस्थापित कर रही है, जिसके लिए कंपनी ग्रुप, कंपनी से, संस्थापन प्रभार वसूलता है। कंपनी संस्थापन प्रभार आरोपित कर रही है जिनको कि बीजकों में सीपीई किराया प्रभारों के रूप में वर्णित किया गया है। बीजक में अलग से संस्थापन प्रभार शामिल नहीं है क्योंकि यह इस शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित है। कंपनी ने बीजक बनाने की समान प्रथा वर्तमान वर्षों के दौरान भी पालन की है।
सी पी ई किराये से आय	

इसलिये, उपरोक्त के आलोक में दावा की गई कटौतियाँ लाइसेंसिंग अनुबन्ध के अनुसार हैं, तथा ए जी आर की गणना में से घटाने के उपयुक्त हैं।

प्रबंधन के उत्तर पर लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण निम्नवत् हैं—

- प्रबंधन का तर्क कि अंतर-मंडलीय सेवाओं से आय, पोर्ट प्रभारों से आय, जो कि इंटरनेट लीज लाईन प्रकृति की थी को सम्मिलित करती हैं, को विचार किया गया था। 2006-07 से 2009-10 के दौरान ऐसे पोर्ट प्रभारों से कुल आय ₹ 2.37 करोड़ थी। इसलिए 2006-07 से 2009-10 के दौरान दावा किये गये अधिक कटौती की राशि को ₹ 7.50 करोड़ से ₹ 5.13 करोड़ संशोधित किया गया है।
- अंतर-मंडलीय सेवाओं से आय में दर्ज राजस्व की अन्य मदों यथा कॉरपोरेट को मेल बॉक्स समाधान, सर्वर कोलो प्रभार आदि से संबंधित राजस्व ₹ 0.83 करोड़ कटौती हेतु बिल्कुल योग्य नहीं था क्योंकि यह आईएसपी (आईटी) हेतु लाइसेंस में अनुमत अनुबंध कटौतियों के किसी भी वर्ग में नहीं आता था।
- इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को दिखाई गये बीजक के अनुसार, संस्थापन प्रभार एवं सीपीई किराया प्रभार बीजक में अलग से दिखाये गये थे तथा वे भी आईएसपी (आईटी) हेतु लाइसेंस अनुबंध में अनुमत कटौतियों के किसी भी वर्ग में नहीं आते, इसलिए राजस्व कटौती हेतु योग्य नहीं है।

उपरोक्त के संदर्भ में, डीडब्लूएल द्वारा ₹ 5.13 करोड़ की कटौती का अधिक दावा किया गया था। तदनुसार, एजीआर समान राशि से कम बताया गया था। परिणामतः, कंपनी द्वारा एलएफ ₹ 0.31 करोड़ (अनुलग्नक 8.19) का भुगतान नहीं किया गया था।

8.4 एलएफ एवं एसयूसी के कम/गैर-भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये प्रकरणों पर (पैरा 8.2 से 8.3), एलएफ एवं एसयूसी के कम/गैर-भुगतान की राशि क्रमशः ₹ 75.80 करोड़ और ₹ 31.81 करोड़ की गणना की गई थी। एलएफ एवं एसयूसी के कम भुगतान पर ब्याज की गणना ₹ 155.22 करोड़ की गई थी (अनुलग्नक 8.20)। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की विद्यमान प्राईम लेंडिंग दर से 2 प्रतिशत उपर की दर थी तथा गणना हेतु विचार की गयी समयावधि संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2015 तक थी। लाइसेंस अनुबंध के अनुसार ब्याज को माहवार कंपाउंड किया गया है।

8.5 लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर डी ओ टी की प्रतिक्रिया

एयरसेल ग्रुप द्वारा राजस्व के हिस्सेदारी पर लेखापरीक्षा के निष्कर्ष डी ओ टी की अक्टूबर 2015 में भेजे गये थे। डी ओ टी का जबाब प्रतीक्षित है। (जनवरी 2016)